परिपत्र सं. 19/2017-सीमा शुल्क

फा.सं. 605/04/2017-डीबीके

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

प्रतिअदायगी प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ प्रधान महानिदेशक

मुख्य आयुक्त/ महानिदेशक

प्रधान आयुक्त/ आयुक्त (सीबीईसी के अंतर्गत सभी)

महोदया/ महोदय,

विषय : डीजीएफटी बनाम कनक एक्सपोर्ट शीर्षक के सीए सं. 554/2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करना।

आपका ध्यान टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) (विदेश व्यापार नीति 2004-2009 का पैरा 3.7.1) पर आकृष्ट किया जा रहा है जिसकी घोषणा डीजीएफटी ने 31.08.2004 को की थी और जिसका उद्देश्य पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में 10 करोड़ रूपये की मुक्त विदेशी मुद्रा में न्यूनतम निर्यात का कारोबार करने वाले स्टार एक्सपोर्ट हाऊसेस को पुरस्कृत करके निर्यात में तेजी लाना है । इस स्कीम के अंतर्गत उत्तरोत्तर निर्यात मे क्रमश: 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और शत-प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने पर एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर से ड्यूटी फ्री केडिट दी जाती है । इसके बाद 2005-06 के टारगेट प्लस स्कीम के लिए डीजीएफटी ने अधिसूचना सं. 48, दिनांक 20.02.2006, अधिसूचना सं. 08, दिनांक 12.06.2006 और अधिसूचना सं. 20 (आरई 2006) /2004-2009, दिनांक 13.07.2006 को जारी करके पात्रता की दर को एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बजाय एफओबी मूल्य का 5 प्रतिशत कर दिया; उच्च मूल्य वाली वस्तुओं को जैसे कि तराशा और पॉलिश किए गए हीरों और प्रचुर उत्पादों, अयस्कों, अनाजों, चीनी, कच्चा और कच्चा आधारित उत्पाद को इस स्कीम से बाहर कर दिया और पात्रता के मानदण्ड को वर्तमान 10 करोड़ रूपये के स्तर से कम करके 5 करोड़ रूपये कर दिया गया । ये परिवर्तन 1 अप्रैल, 2005 से लागू कर दिए गए । तदनुसार इस विभाग ने अधिसूचना सं. 73/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 10.07.2006 को जारी करके इस टारगेट प्लस स्कीम को वर्ष 2005-06 के लिए लागू कर दिया । इस राजस्व अधिसूचना में

May 26 2017 3:03AM HP LASERJET FAX P.1

अन्य बातों के अलावा गैर-पात्र निर्यात की, डीजीएफटी के द्वारा किए गए संशोधन के द्वारा, बढ़ी हुई सूची भी शामिल है ।

2. टारगेट प्लस स्कीम 2005-2006 में डीजीएफटी द्वारा जो भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया था उसको विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (डीजीएफटी बनाम कनक एक्सपोर्ट एवं अन्य, सीए सं. 554/2006 के मामले में) दिनांक 27.10.2015 को दिए अपने निर्णय में कहा है कि टीपीएस से संबंधित डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 48, दिनांक 20.02.2006 और अधिसूचना सं. 08, दिनांक 15.06.2006 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता ।

3. सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को स्वीकार करने और लागू करने का निर्णय लिया है । डीजीएफटी ने अधिसूचना सं. 6/2015-2020, दिनांक 8.5.2017 को जारी करके अपनी नीति अधिसूचना सं. 48, दिनांक 20.02.2006 में संशोधन कर दिया है ताकि इसे 1.4.2005 के बजाय इसके जारी होने की तारीख से लागू किया जा सके और अधिसूचना सं. 8 (आरई 2006)/ 2004-2009 दिनांक 12.6.2006 और सं. 20 (आरई 2006)/2004-2009 दिनांक 13.07.2006 को निरसित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 73/2006-सीमाशुल्क, दिनांक 10.7.2006 जिसमें एफटीपी के संबंधित प्रावधानों के अनुसार गैर-पात्र उत्पादों का उल्लेख है में भी अधिसूचना सं. 22/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 31.5.2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

4. इसके अलावा, इस योजना का कोई दुरुपयोग न होने पाए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए डीजीएफटी ने व्यापार नोटिस सं. 06/2018, दिनांक 8.5.2017 को जारी किया है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के अलावा इन दावों की जांच करने के लिए जोनल समितियों की स्थापना की गई है। डीजीएफटी के व्यापार नोटिस में दी गई प्रक्रिया स्वतः ही स्पष्ट है । इस प्रकार टीपीएस स्क्रिप्स को अब, इन जोनल समितियों के द्वारा जांच किए जाने के पश्चात 2005-06 के निर्यात के लिए जारी कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्दिष्ट नियंत्रण और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए इन स्क्रिप्स का प्रयोग करने के लिए अनुमति दें ।

5. आयुक्त को चाहिए कि वे व्यापारियों और अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। इस कार्य में यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो उसको बोर्ड की जानकारी में लाया जाये ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
निदेशक
टेली : 23360581

May 26 2017 3:03AM HP LASERJET FAX p.2